

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं  
अधिकारिता विभाग, करौली

क्रमांक 256

दिनांक 03.02.16

**नीलामी सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ संचालित छात्रावासों के अनुपयोगी, नीलामी योग्य एवं अधिशेष सामानों यथा :- लौहे, पीतल, एल्यूमिनियम, के बर्तन क्रमबल, गद्दे आदि बिस्तर लकड़ी का सामान तथा अन्य सामान जिसका पुस्तक मूल्य लगभग 1.47 लाख रुपये है तथा जो राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति), करौली, हिण्डौन एवं सपोटरा में एकत्रित है, का खुली नीलामी द्वारा दिनांक 19.02.2016 को दोपहर 12.00 बजे राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करौली में नीलामी समिति द्वारा "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर खुली बोली द्वारा नीलामी की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था नीलामी में भाग लेने हेतु आमन्त्रित है। नीलामी से पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक बोलीदाता को 1 प्रतिशत (1470/-) बयाना राशि कार्यालय में जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता को बोली मूल्य की राशि के अतिरिक्त नियमानुसार बेट की राशि भी तुरन्त जमा करानी होगी तथा अगले दिन तक सामग्री को उठाना आवश्यक होगा। बोली की राशि जमा नहीं करने पर अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी। नीलामी रद्द/स्थगित करने का अधिकार नीलामी कमेटी में निहित होगा। नीलामी की अन्य शर्तें नीलामी स्थल पर अवगत करा दी जावेगी।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली  
दिनांक 03.02.16

क्रमांक 257-76  
प्रतिलिपि-

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर को सूचनाार्थ एवं नियमानुसार विभागीय प्रतिनिधि भिजवाने, नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
2. समस्त छात्रावास अधीक्षकों को प्रेषित कर लेख है कि इस सूचना की प्रति पंचायत समिति/तहसील कार्यालय एवं छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, जिला परिषद, नगर परिषद, करौली
4. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, करौली को जयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में डी.पी.आर. दरो पर प्रकाशन हेतु।
5. सम्बन्धित श्री..... नीलामी समिति को प्रेषित कर निवेदन है कि नीलामी के दिन निश्चित समय एवं स्थान पर नीलामी कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का श्रम करें।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली